विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 367

दुर्ग, दिनांक 15/10/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 182
दिनांक: 28/10/2026

श्री मनीष चौहान,
पुत्र श्री संजय कुमार चौहान,
निवासी – बजरंग पारा, जी.ई. रोड, भिलाई–3,
जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़), पिन – 490021
बी.पी. क्रमांक : 1000160390
मोबाइल नंबर : 9669200900

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई ईस्ट संभाग,
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई–3।
2. सहायक यंत्री, चरोदा जोन,
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., दुर्ग।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 14 / 10 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन के संबंध में माह अगस्त 2026 में जारी विद्युत देयक में त्रुटि होने के आधार पर इस फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का मुख्य कथन है कि मीटर की रीडिंग शून्य होने के बावजूद उक्त माह के विद्युत देयक में ₹1,160/– ऊर्जा प्रभार के रूप में जोड़े गए, जो अनुचित है। अतः आवेदक द्वारा उक्त देयक को निरस्त कर नियमानुसार सही देयक जारी करने हेतु अनावेदकगण को निर्देशित किए जाने की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. आवेदक के परिसर में घरेलू प्रयोजन हेतु विद्युत कनेक्शन स्थापित है, जिसका बी.पी. क्रमांक 1000160390 है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 930 वाट है।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक श्री मनीष चौहान, पुत्र श्री संजय कुमार चौहान, निवासी बजरंग पारा, जी.ई. रोड, भिलाई–3, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत शिकायत में कथन किया गया है कि उनके विद्युत कनेक्शन के बी.पी. क्रमांक 1000160390 पर माह अगस्त 2026 में ₹1,160/– का विद्युत देयक जारी किया गया, जबकि संलग्न देयक में मीटर रीडिंग शून्य (0) दर्शाई गई है। इसके बावजूद देयक में ₹1,160/– ऊर्जा प्रभार के रूप में जोड़े गए हैं।

आवेदक के अनुसार, उक्त देयक में मीटर रीडिंग के स्थान पर "डोर लॉक" (Door Lock) की टिप्पणी अंकित की गई है, जबकि उनके घर में दिन के समय परिवार के सदस्य उपस्थित रहते हैं तथा दरवाजे पर ताला नहीं लगाया जाता है।

आवेदक ने यह भी कथन किया है कि लगभग एक वर्ष पूर्व विद्युत मीटर में चिंगारी निकलने की घटना के बाद से उन्होंने उक्त मीटर से विद्युत का उपयोग बंद कर दिया था, जिसके कारण पूर्व में विद्युत देयक लगभग ₹20 से ₹30 तक प्राप्त हो रहा था। ऐसी स्थिति में शून्य रीडिंग के बावजूद ₹1,160/– का ऊर्जा प्रभार लगाया जाना अनुचित है।

आवेदक द्वारा इस संबंध में अनावेदकगण से संपर्क किए जाने के बावजूद समस्या का उचित निराकरण नहीं होने पर फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई। आवेदक ने मांग की कि शून्य रीडिंग के आधार पर जारी ₹1,160/– के त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक को निरस्त कर नियमानुसार सही देयक जारी करने हेतु अनावेदकगण को निर्देशित किया जाए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कथन किया गया है कि श्री संजय कुमार चौहान, बी.पी. क्रमांक 1000160390, निवासी बजरंग पारा, जी.ई. रोड, भिलाई–3 के विद्युत कनेक्शन का माह अगस्त 2026 का देयक "डोर लॉक" कोड के आधार पर अनुमानित रूप से ₹1,160/– जारी किया गया था।

दिनांक 05.10.2026 को इस कार्यालय में उपभोक्ता का शिकायत पत्र प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित परिसर का स्थल निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया। निरीक्षण के दौरान मीटर की वर्तमान रीडिंग 49350 प्राप्त होने के आधार पर विद्युत देयक में संशोधन किया गया।

अनावेदकगण के अनुसार, आवेदक को पूर्व में जारी अनुमानित देयक में ₹1,030/– की छूट प्रदान करने के पश्चात ₹60/– का संशोधित देयक जारी किया गया। आवेदक संशोधित देयक से संतुष्ट हुआ तथा दिनांक 05.10.2026 को उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया।

अनावेदकगण द्वारा माह अगस्त 2024 से सितंबर 2026 तक का बिलिंग डाटा, गणना पत्रक तथा दिनांक 05.10.2026 का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्धारित किया जाता है :–

क्या आवेदक को माह अगस्त 2026 में जारी ₹1,160/– का विद्युत देयक उचित एवं नियमानुसार था?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदक की शिकायत, अनावेदकगण के उत्तर, विद्युत देयकों, मीटर रीडिंग गणना पत्रक, बिलिंग डाटा तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया।

अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माह अगस्त 2026 में आवेदक के विद्युत कनेक्शन का देयक "डोर लॉक" कोड के आधार पर अनुमानित रूप से ₹1,160/– जारी किया गया था। उक्त देयक वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी नहीं किया गया था।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, दिनांक 05.10.2026 को आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्युत मीटर परिसर के कमरे के अंदर स्थापित पाया गया तथा मीटर की वर्तमान रीडिंग 49350 दर्ज की गई। प्रतिवेदन में मीटर चालू स्थिति में होना भी दर्शाया गया है।

अनावेदकगण द्वारा शिकायत प्राप्त होने के पश्चात स्थल निरीक्षण कर विद्युत देयक में संशोधन किया गया तथा पूर्व में जारी ₹1,160/– के अनुमानित देयक के विरुद्ध ₹1,030/– की छूट प्रदान कर ₹60/– का संशोधित देयक जारी किया गया। अभिलेखों के अनुसार, आवेदक द्वारा उक्त संशोधित देयक की राशि दिनांक 05.10.2026 को जमा कर दी गई है।

इस प्रकार, प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि माह अगस्त 2026 का मूल देयक वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी नहीं किया गया था, बल्कि "डोर लॉक" कोड के आधार पर अनुमानित रूप से जारी किया गया था। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात अनावेदकगण द्वारा स्थल निरीक्षण कर देयक में संशोधन किया गया है।

फोरम यह भी पाता है कि आवेदक द्वारा संशोधित देयक की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा अनावेदकगण द्वारा की गई कार्यवाही एवं देयक में किए गए संशोधन के संबंध में आवेदक संतुष्ट है। इस संबंध में अनावेदक गण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है

अतः उपर्युक्त तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों एवं अनावेदकगण द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर फोरम का निष्कर्ष है कि माह अगस्त 2026 में जारी मूल अनुमानित देयक में संशोधन किया जाना उचित था। शिकायत के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। फलस्वरूप, अब इस प्रकरण में किसी अतिरिक्त राहत हेतु आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

7. आदेश

उपर्युक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. आवेदक के विद्युत कनेक्शन के माह अगस्त 2026 के मूल अनुमानित देयक ₹1,160/– में अनावेदकगण द्वारा किए गए संशोधन एवं ₹60/– का संशोधित देयक जारी किए जाने की कार्यवाही को अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदक द्वारा संशोधित देयक की राशि का भुगतान किए जाने तथा शिकायत के संबंध में अनावेदकगण द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के कारण प्रकरण में किसी अतिरिक्त राहत हेतु निर्देश जारी किया जाना आवश्यक नहीं पाया जाता।

3. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

4. आदेश पारित

5.प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

o/c

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग